राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 152/2022 जीसीएमएस नम्बर– 2022/453

1. कृष्ण कुमार पुत्र धर्मपाल जाति नायक निवासी रायली तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0

..........वादी

बनाम

1. ईश्वर पुत्र महताब
2. महेश पुत्र महताब
3. मिश्री पत्नी श्योनाराध (फौत) समस्त जाति मेघवाल निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा– खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 19/07/2023

वादियागण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं0 223 के ख0न0 816/27 रकबा 1.45है0 में वादी का 1/3 भाग का खाता विभाजन कर कब्जे कास्त के अनुसार लगान कायम किया जावे।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं0 223 के ख0न0 816/27 रकबा 1.45है0 में वादी का 1/3 भाग का खाता विभाजन किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:57:46 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता सं. 223 के ख0न0 816/27 ग्राम कुहाड़वास, नकल नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शा पेश किया गया।

खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.12.2022 को किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट प? क्रमांक 1946 दिनांक 05.07.2023 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादी ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत हैं, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे। अतः वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

अतः वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं0 223 के ख0न0 816/27 रकबा 1.45है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श " ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 13/07/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:57:46 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.
राजस्व वाद स. 232/2010

कृष्ण कुमार **बनाम** ईश्वर आदि

दावा खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री विकास शर्मा एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.07.23 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिकी दी जाती हैं कि –

"अतः वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं0 223 के ख0न0 816/27 रकबा 1.45है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श " ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13/07/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:57:46 IST
Reason: SelfAttested